

## जोखिम प्रबंधन में बदलते प्रतिमान\*

श्यामला गोपीनाथ

वित्त का संसार हमेशा से जोखिम की आंतरिक समझ रखता रहा है। बैंकिंग कारोबार की बढ़ी हुई विविधताओं और जटिलताओं से तथा वृद्धि के विभिन्न नए प्रेरकों से उभरने वाले जोखिमों ने बैंकों में जोखिम प्रबंधन की समूची रूपरेखा को उस सबसे काफी आगे बढ़ाया है, जो अपेक्षाकृत एक स्थिर परिवेश में जमाराशियां स्वीकार करने तथा उधार देने की परंपरागत बैंकिंग गतिविधियों में शायद ही कभी रही होगी। अंतरराष्ट्रीय रूप से गत दो दशकों में बैंकिंग क्षेत्र की रूपरेखा में तथा जोखिम प्रबंधन के स्वरूप में भारी परिवर्तन देखे गए हैं। जिन कारकों ने जोखिम प्रबंधन के स्वरूप को बदल दिया है, अन्य बातों के साथ-साथ विशेषकर वे हैं - प्रौद्योगिकी में उन्नयन, जिसने जोखिम प्रबंधन में परिमाण परक दृष्टिकोणों को जोड़ा है जैसे मॉडल आदि, तथा परिवर्तियों (डेरीवेटिव्स) और अन्य सांचागत उत्पादों, जो इतने जटिल हो गए हैं कि उन्हें अक्सर 'एसोर्टिक' 'विदेशी' कह दिया जाता है, में लेनदेनों के बढ़ते हुए परिमाण। भारत ने भी इन परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया की है जो क्रमिक और निर्बाध दृष्टिकोण की रही है जिसने हमें वर्षों से अच्छी मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया है।

आज अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में मैं, सर्वप्रथम उन कुछ मोटे-मोटे और ज्यादा सामान्य मुद्दों को रेखांकित करूंगी जो वर्तमान में वित्तीय जोखिम प्रबंधकों का ध्यान खींच रहे हैं और इसके बाद इस संबंध में मैं भारतीय संदर्भ की ओर बढ़ूंगी।

### I. जोखिम प्रबंध पर कुछ आम धारणाएं

#### जोखिम का परिमाण निर्धारण तथा मॉडल जोखिम

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है जोखिम के परिमाण निर्धारण के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय गतिविधियों ने जोखिम प्रबंध के सांख्यिकीय पहलुओं पर विशेषकर जोखिम मॉडलिंग तथा जोखिम के मापन के लिए अन्य गणनापरक तकनीकों की ओर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले दशक के दौरान बाजार जोखिम के आकलन के लिए शैक्षिक अनुसंधान के प्रयास जोखिम पर मूल्यों की खोज पर काफी बढ़ गए हैं। इन मॉडलों का कुछ सावधानी के साथ तथा प्रयुक्त आंकड़ों के गंभीर परीक्षण के बाद, विशेषकर

भावी परिदृश्य का पूर्वानुमान लगाने के लिए पुराने आंकड़ों तथा मॉडलों के पीछे स्थित धारणाओं, आकलन में त्रुटियों आदि को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि दिन के अंदर की स्थितियां पकड़ में नहीं आती हैं तो यह बैंकों को इन जोखिमों की ओर धकेल देगा।

इसी प्रकार ऋण जोखिम के बारे में, यद्यपि बासल II की 'आंतरिक रेटिंग आधारित' पद्धति एक संविभागीय मॉडल उपलब्ध कराती है, फिर भी ऋण जोखिम पूंजी आकलन के लिए कोई सर्वोत्तम प्रेक्टिस मॉडल उपलब्ध नहीं है। बैंक प्रबंध तंत्र को ऋण जोखिम के कारकों के निर्धारकों जोखिम कारकों के बीच निर्भरता, ऋण जोखिम का बाजार जोखिम के साथ समेकन, आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे जैसे लंबी अवधियों तक आंकड़ों की संगतता, सटीकता आदि पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

संस्थाएं परिचालनगत हानि की श्रेणियों की घटनाओं तथा उन्नत मापन दृष्टिकोणों को लागू करने के लिए परिचालनगत जोखिम के आंकड़ों का भंडार बनाने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही हैं। फिर भी आंकड़ों की उपलब्धता तथा आंकड़ों की विश्वसनीयता संबंधी अनेक मुद्दे अभी भी बने हुए हैं जिनके समाधान की जरूरत है। महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिम के प्रकारों के लिए आंतरिक हानि का अनुभव (निम्न बारंबारता, उच्च गहनता) बहुत कम होता है तथा कोई भी प्रासंगिक आंकड़े जोखिम के आत्म मूल्यांकन तथा / अथवा बाह्य हानि के अनुभवों के रूप में हो सकते हैं।

#### चरम घटनाएं तथा तनाव परीक्षण

जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया की मुख्य भूमिकाओं में से एक है - चरम घटनाओं का प्रबंधक, जैसे वे घटनाएं जो ऐसी सांख्यिकीय वितरणों के परीक्षणों से जुड़ी है जिनके होने की संभावना एक प्रतिशत जितनी कम हो सकती है। ये निम्न संभावना वाली, परंतु चरम परिचालनगत घटनाओं से जुड़ी उच्च हानियों वाले उदाहरण हैं, जैसे-धोखेबाजी पूर्ण लेनदेन या खातों में धोखाधड़ी या जालसाजी तनाव परीक्षण की महत्ता न केवल ऐसी घटनाओं के प्रभावों का आकलन करना है, वरन् अन्य विभिन्न परिदृश्यों के प्रभाव का भी अध्ययन करना जोखिम प्रबंध के कार्मिकों, शिक्षा शास्त्रियों और बैंकरों का ध्यान समान रूप से आकृष्ट कर रहे हैं।

\* श्री श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 27 सितंबर 2006 को मुंबई में एफआइसीसीआई - आइबीए कॉन्फ्रेंस में 'वैश्विक बैंकिंग : बदलते प्रतिमान' विषय पर दिया गया विशेष व्याख्यान।

### जोखिम आधारित पूंजी तथा पिछला परीक्षण

परिमाणात्मक तकनीकों ने इतना अधिक ध्यान आकृष्ट किया इसका महत्वपूर्ण कारण केवल बौद्धिक संतोष नहीं है जो यह शिक्षाविदों को दे सकता है, बल्कि इसका सांसारिक/भौतिक कारण है कि यह विनियामक को इस बात से सहमत करा सकता है कि इन तकनीकी द्वारा मापे गए जोखिमों के होते हुए अपेक्षित पूंजी की राशि उससे काफी कम है जितनी कि मानकीकृत तकनीकों के व्यापक मानदंड के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है। जोखिम मॉडलों, इन मॉडलों का प्रयोग करके मापी गई जोखिम की मात्रा तथा इन जोखिमों को समर्थन देने के लिए इन खतरों के बाद अपेक्षित पूंजी के बीच कोई माध्यमिक संपर्क बिंदु तत्काल उभरते हैं। जोखिम को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी होने का अनुमान उतना ही ठीक होगा जितना कि मॉडल ठीक होंगे और मॉडलों की विश्वसनीयता अन्ततः उनके वास्तविक कार्य-निष्पादन पर निर्भर करेगी। मापने के लिए मॉडलों का उलटा परीक्षण तथा अनुमानित संख्या से वास्तविक संख्या के बीच में आए विचलन के अंतराल को कम करने की विश्वसनीयता बैंकों के प्रबंध-तंत्र और पर्यवेक्षकों दोनों को समान रूप से सुभीता प्रदान करती है।

### II. भारतीय परिदृश्य

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) जैसी संस्थाओं के तत्वाधान में बैंकों ने जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्तम संव्यवहारों को विकसित करने के लिए निरंतर समन्वित प्रयास चलते रहते हैं और ये संव्यवहार धीरे-धीरे सारे विश्व में बैंकों के लिए अपने को आधार चिह्न बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में आते रहते हैं। विनियामक और पर्यवेक्षक स्तरों पर भी ऐसे प्रयास होते रहे हैं कि राष्ट्रीय विशेषताओं और व्यवहार्यताओं के लिए यथोचित नमनीयता देते हुए बासल समिति तथा बैंक पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम संव्यवहारों की एकाभिमुखता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं। बैंकों ने इस पहल के प्रति प्रभावशीलता के विभिन्न स्तरों के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं की हैं।

अक्टूबर 1999 में आकर ही रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अपनी अपेक्षाएं निर्धारित करते हुए बैंकों में जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी दिशानिदेश जारी किए। इन मार्गदर्शी दिशानिदेशों में जोखिम प्रबंधन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे पहले भी, फरवरी 1999 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे चलनिधि तथा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन ढांचा स्थापित करें। इस संदर्भ में मैं निम्नलिखित टिप्पणियां करना चाहूंगा :

- (क) बैंक जिस गति से जोखिम प्रबंध प्रणालियां स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं उसे तेज करने की जरूरत है।
- (ख) अपनायी जानेवाली पद्धतियों के उन्नयन के विषय में निर्णय करते समय विनियामक और पर्यवेक्षी अपेक्षाओं /प्रत्याशाओं के साथ एकाभिमुखता प्राप्त करने की जरूरत है।

(ग) उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संरचना का विकास करने तथा एमआइएस तथा दक्षता को बढ़ाने की जरूरत है।

(घ) जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को पूंजी आयोजना की रणनीतियों के साथ समान्वित करने की जरूरत है।

वर्तमान कारोबारी परिवेश, जिसमें कंपनी संचालन पर विशेष बल दिया जा रहा है, बैंकों के लिए अपने जोखिम प्रोफाइल को सार्वजनिक रूप से और पहले की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट तथा व्यापक रूप में स्पष्ट करना महत्वपूर्ण बना रहा है। जोखिम अभी भी जटिल और तकनीकी विषय है, अतः पारदर्शिता प्राप्त करना भी आसान नहीं होगा। आंतरिक घटक, विश्लेषक, रेटिंग एजेंसियां, निवेशक तथा विनियामक सभी की उन्नत जोखिम मापन तकनीकों की समझ के अलग-अलग स्तर हैं। सभी के लिए निरंतर शिक्षा की जरूरत है इससे पहले कि बाजार संपूर्ण रूप में, जोखिम की एक सामान्य समझ पर पहुंचे, विशेषकर, किसी भी लेनदेन में प्रत्यक्ष पणधारी को उस लेनदेन में निहित जोखिम से वाकिफ होने की जरूरत है। बासल II का तीसरा स्तंभ (बाजार अनुशासन) प्रभावी हो, इसके लिए यह जरूरी है कि पणधारी बैंकों के लेनदेन में निहित जोखिमों से वाकिफ हो और जोखिमों के प्रबंधन के लिए प्रणाली सुस्थापित हो। इस संदर्भ में, कंपनी-ग्राहकों को विभिन्न उत्पाद उपलब्ध करा रहे बैंकों के लिए नीतिगत औचित्य के होने पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

बैंकों द्वारा विकसित जोखिम प्रबंध प्रणालियों की ओर सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र को सूचना-प्रौद्योगिकी की संरचना की उपयुक्तता की तरफ काफी ध्यान देने की जरूरत है जिसमें निम्नलिखित मुद्दे भी शामिल हैं - संबद्धता, जोखिम केंद्रित एमआइएस फॉर्मेट की एक रूपरेखा बनाने, एक ऐसा संगठन स्थापित करने जो जोखिम का प्रबंधन इस प्रकार कर सके कि परिचालनों से जोखिम के आकलन को पृथक करना सुनिश्चित किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई शिथिलता नहीं है, जोखिम प्रबंध प्रणालियों की बारंबार समीक्षा कर सके। परंतु अंतिम और उतना ही महत्वपूर्ण है कि संगठन के अंदर ही उपयुक्त दक्षताएं विकसित की जाएं। इस संदर्भ में, यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जोखिम का प्रबंधन मात्र ही जोखिम प्रबंध विभाग का एक मात्र चिंता नहीं है, बल्कि एक संस्कृति है जो सारे संगठन में व्याप्त हो जाती है जिसे सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र से विशिष्ट समर्थन मिलता है।

### III. जोखिम प्रबंधन में हाल ही में की गई पहलें

भारत में वर्षों से जोखिम प्रबंध संरचना को, बैंक विशेष के स्तर पर तथा एक व्यापक सर्वांगी स्तर, दोनों स्तरों पर सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

#### आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी मार्गदर्शी दिशानिदेश

अधिकांश बैंकों ने एएलएम ढांचे को स्थापित कर लिया है। तथापि बैंक की समग्र जोखिम धारणा के एक भाग के रूप में तथा बैंक की पूंजी

आयोजना की रणनीति के रूप में इस ढांचे को आंतरिक अंग बनाने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। आंकड़ों के मिलान की पुष्टि का मुद्दा अभी भी कुछ सीमा तक बाकी है। अनेक मामलों में एएलको की भूमिका बैंक की ब्याज दरों को निर्धारित करने तक ही सीमित रह जाती है। इसका आंशिक कारण एएलको को उपलब्ध प्रणालीगत समर्थन के निर्णय की कमी है। आय की संरचनाओं में परिवर्तनों के परिदृश्य विश्लेषण और प्रभाव की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण समर्थक कारक होगा।

रिज़र्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को मार्गदर्शी दिशानिर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसका उद्देश्य अधिकांश बैंकों में प्रचलित वर्तमान परिपक्वता सीढ़ी के दृष्टिकोण के स्थान पर अवधि अंतराल के दृष्टिकोण को क्रमिक रूप से अपनाने का है। परवर्ती दृष्टिकोण बैंकों के लिए यह संभव बना देता है कि बैंक आस्तियों और देयताओं की संशोधित अवधियों में अंतराल और इक्विटी की अवधि की गणना कर सकते हैं। इक्विटी की अवधि की संकल्पना बैंकों को कुछ सीमाओं के अंतर्गत, एकल संख्या देती है जो इसकी पूंजी पर एक प्रतिशत ब्याज दर के परिवर्तन का प्रभाव भी बतलाती है, ब्याज दर जोखिम को पकड़ते हैं, और उसके द्वारा जोखिम आधारित पूंजी/आर्थिक पूंजी के आकलन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने में सहायता करती है।

### ऋण जोखिम

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बैंक संसाधनों और पर्यवेक्षी संसाधनों ने वाणिज्यिक और औद्योगिक संविभागों की ऋण जोखिम मॉडलिंग पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है, जबकि खुदरा ऋण क्षेत्र<sup>1</sup> में जोखिम के परिमाणन के लिए अपेक्षाकृत कम संसाधन दिए हैं। इसके संभावित कारण ये हो सकते हैं - (i) प्रणालीगत दृष्टि से यह आर्थिक दृष्टि से उचित लगता है कि बड़े-बड़े ऋणों के जोखिम कारकों का आकलन करने के लिए अधिक संसाधन लगाए जाएं तथा (ii) सार्वजनिक रूप से रेटिंग की गयी फर्मों के लिए रेटिंग एजेंसियों के मूल्यांकन करने का पुराना इतिहास है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से रेटिंग की गई फर्मों के बारे में उपलब्ध विस्तृत आंकड़ों के सामाजिक, वाणिज्यिक संविभागों के लिए परिमाणन की पद्धति विकसित करने के लिए अत्यधिक उपयोगी आधार चिह्न उपलब्ध कराए हैं।

तथापि इस वाणिज्यिक रूप में जोर दिए जाने के बावजूद, खुदरा ऋण बैंकिंग उद्योग द्वारा वहन किए जाने वाले जोखिम का बहुत बड़ा भाग है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसको मानते हुए गत दशक से उद्योग और शिक्षाविदों ने इस जोखिम के मापन के लिए अधिक उन्नत ऋण जोखिम मापक मॉडलों को विकसित करने के लिए काफी संसाधन नियोजित किए हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र में उनके प्रतिपक्षी की तरह से ये मॉडल भी परिमाणात्मक विश्लेषणों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।

### व्युत्पन्नी लिखत (डेरिवेटिव्स)

तुलन पत्र से इतर (ओबीएस) एक्सपोजरों में व्युत्पन्नी लिखतों का एक्सपोजर बहुत तेजी से बढ़ा है। बैंकिंग प्रणाली में व्युत्पन्नी लिखतों के संविभाग की संरचना में भी भारी रुपांतरण हुआ है। वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं जो मार्च 2002 में कुल व्युत्पन्नी लिखतों की लगभग 80 प्रतिशत बैठती थीं, मार्च 2006 में तेजी से गिरकर लगभग 43 प्रतिशत की रह गईं, जबकि ब्याज दर संविदाओं का अंश इसी अवधि में 19 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत हो गया। विदेशी मुद्रा आप्सांस (विकल्पों) ने पिछले साल के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। बैंकिंग प्रणाली के कुल व्युत्पन्नी लिखतों के व्यापार में एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप का अंश मार्च 2002 के 15 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2006 में 53 प्रतिशत हो गया।

बैंकों की ओबीएस गतिविधियों के कारण बढ़ते हुए जोखिमों का नियंत्रण बैंकों के आंतरिक जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण नीतियों तथा विनियामकों द्वारा थोपी गई जोखिम प्रशमन प्रणाली-तंत्र, इन दोनों के संयोग से किया जाता है। तुलनपत्र से संबंधित तथा उससे इतर रूप में दोनों रूपों में उभरने वाले जोखिमों के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक नियंत्रण नीतियां बैंक की पहली सुरक्षा पंक्ति बनती हैं। तुलनपत्र से इतर सभी एक्सपोजरों के लिए न्यूनतम परिभाषित विनियामक की धारिता, आवधिक पर्यवेक्षी आंकड़ों का संकलन तथा बैंक के तुलनपत्र में पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं को शामिल करना ये कुछ प्रमुख विनियामक पहलें हैं जो बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र से इतर जोखिमों को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने के लिए शुरू की गई हैं।

डेरिवेटिव एक्सपोजर का तेजी से प्रचुर फैलाव उनके साथ जुड़े निम्न जोखिमों के कारण, यदि उन्हें उचित रूप से प्रबंधित नहीं किया गया, तो वे अनिवार्य रूप से एक चुनौती खड़े करते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सांचागत उत्पादों के प्रयोग, मूल्यांकन, समसामयिक जुड़े मुद्दे, जोखिम प्रबंधन तथा रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दे और अंतिम पर महत्वपूर्ण हैं- प्रशिक्षण और कौशल विकास से संबंधित मुद्दे। जहां व्युत्पन्नी लिखतें जोखिम से सुरक्षा तथा उन संस्थाओं को जोखिम अंतरण को जो जोखिमों को वहन करने के लिए इच्छुक हैं, अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करने के लिए व्युत्पन्नी लिखतों का प्रयोग करने के लिए सहभागियों की प्रवृत्ति तथा विवेकसम्मत लेखांकन की मार्गदर्शी दिशानिर्देश संबंधी चिंता के विषय हैं।

भारतीय डेरिवेटिव बाजार में उसकी एक विशेषता बाजार निर्माताओं (बैंकों) तथा कंपनियों - दोनों के संबंध में जोखिम के संकेंद्रण से संबंधित है। सर्वोच्च 15 बैंकों का संयुक्त अंश मार्च 2002 में लगभग 74 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2006 में बैंकिंग प्रणाली के कुल ओबीएस एक्सपोजर का

<sup>1</sup> क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग : 'फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फियाज पर्सपेक्टिव' एथनी एम सेंटोमेरो, प्रेसीडेंट, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया।

82 प्रतिशत हो गया जिसमें से 62 प्रतिशत विदेशी बैंकों का बैठता है। जानकारी का संकेंद्रण एक दूसरा जोखिम है जिसका परिणाम कुछ खिलाड़ियों के बीच डेरिवेटिव्स के संकेंद्रण में होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस आवश्यकता पर जोर देता रहा है कि अपने ग्राहकों को व्युत्पन्नी लिखत उपलब्ध कराने से पहले ग्राहक की उपयुक्तता तथा उत्पादों की उपयुक्तता के बारे में निष्ठापूर्वक आकलन कराएं। सर्वांगी जोखिमों को कम करने तथा उपयुक्त लेखांकन की मार्गदर्शी दिशानिदेश विकसित करने के लिए जोखिम को कम करने संबंधी तकनीकों जैसे सम्पाश्विक तथा निवल निकालने का उपयोग करने की जरूरत है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो अलग-अलग ड्राफ्ट गाइडलाइन्स जारी की हैं - एक आम तौर पर निवेश संविभागों के मूल्यांकन/लेखांकन के लिए और दूसरी डेरिवेटिव्स के संबंध में। ये प्रस्तावित गाइड लाइन्स मोटे तौर पर आइएएस 39 जो लेखांकन मानदंड वित्तीय लिखतों के लिए मूल्यांकन और लेखांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानदंड हैं, के अनुरूप डेरिवेटिव्स के लिए उचित मूल्य लेखांकन मानदंडों को स्थापित करने का प्रयास करती है। निवेशों के लिए प्रस्तावित ढांचा वसूल न किए गए लाभों और हानियों के लिए संतुलित व्यवहार की परिकल्पना करता है जिसमें एचएफटी के लिए लाभ, लाभ-हानि खाते में झलकता है। तथापि, एएफएस के लिए बाद के मापन पर लाभ या हानि एएफएस संविभाग पर वसूल न किए गए लाभ-हानि के रूप में प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार डेरिवेटिव्स के लिए सभी मूल्यांकन लाभों और हानियों को या तो पीएण्ड एल (90 दिनों से कम के लिए) के माध्यम से या 'डेरिवेटिव्स पर वसूल न किए गए लाभ-हानि' (90 दिन या अधिक दिन) शीर्षक नामक नए खाते के माध्यम से दशाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, जो कुछ-कुछ एएफएस संविभाग जैसा है। विचार यह है कि सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों को 'तुलनपत्र से इतर' के स्थान पर 'तुलन पत्र पर' लाया जाए, जैसा कि अब किया जा रहा है।

इसके अलावा, डेरिवेटिव्स से जुड़े सभी मुद्दों से व्यापक रूप में निपटने के लिए हम अब विशिष्ट उत्पादों को अनुमोदित करने की बजाए व्यापक सिद्धांतों पर आधारित विनियामिक निर्धारणों को समरस बनाने की प्रक्रिया में है।

### तनाव परीक्षण

गवर्नर महोदय ने 2006-07 के लिए अपनी मौद्रिक नीति में बैंकों के लिए आर्थिक मंदियों, औद्योगिक मंदियों, बाजार जोखिम की घटनाओं तथा चलनिधि की स्थितियों में अचानक बदलाव आने जैसी विभिन्न संभावित घटनाओं को देखते हुए पूंजी-पर्याप्तता के आकलन के लिए सुदृढ़ तनाव परीक्षण प्रक्रिया रखने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसी प्रकार संवेदनशील क्षेत्रों और उच्च जोखिम वाली आस्तियों के लिए अधिक बारंबार

तनाव परीक्षण कराने की जरूरत होगी। तनाव परीक्षण बैंकों को जोखिम को और ज्यादा सटीकतापूर्वक करने में समर्थ बनाएगा और उसके द्वारा यथोचित पूंजीगत अपेक्षाओं के लिए आयोजना करने को सुविधाजनक बनाएंगे।

बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक ने तनाव परीक्षण पर मार्गदर्शी दिशानिदेश ड्राफ्ट जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी दिशानिदेशों में सभी प्रमुख जोखिम क्षेत्र शामिल किए हैं अर्थात् बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, परिचालनगत जोखिम तथा चलनिधि निधियन जोखिम। बैंकों से यह अपेक्षित है कि उन वास्तविक प्रतिकूल परिस्थितियों और घटनाओं के उपयुक्त दायरे को पहचानें जिनमें पहचाना गया जोखिम स्पष्ट उभर कर आता है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति के अंतर्गत इसके द्वारा अपेक्षित वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाए ताकि वे क) जैसे ही जोखिम उत्पन्न होता है, उसका सामना कर सके तथा उस जोखिम के आविर्भाव के प्रभाव को कम कर सके; ख) जब भी देयताएं पैदा हों उन्हें पूरा कर सके; तथा ग) न्यूनतम सीआरएआर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। यहां यह नोट करना समीचीन होगा कि बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे अपनी-अपनी कारोबारी अपेक्षाओं प्रासंगिकताओं और लागत द्वारा निर्दिष्ट होकर अलग-अलग बारंबारता पर तनाव परीक्षणों को लागू करें।

### वित्तीय समूहन

इस बात की उत्तरोत्तर आवश्यकता है कि जोखिम प्रबंधन के ढांचे को समूहवार स्तर पर विशेषकर वित्तीय समूहनों पर भी लागू करें। परिमाणों और विविधताओं दोनों ही दृष्टियों से वित्तीय सेवाओं का जैसा तेजी से विस्तार हुआ है, इसने वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। संगठनात्मक आयामों ने इसे और भी कठिन बना दिया है जो शायद विनियामक अधिनिर्णय की संभावना पैदा करते हैं। जहां यह अल्पकाल के लिए संगठन को लाभकारी लग सकता है, यह केवल सर्वांगी जोखिम को ही बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप, संस्थाएं बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर हो जाती हैं जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ बैंकों की अन्य वित्तीय घटकों जैसे वणिज बैंकिंग, बीमा में प्रवेश हो गया है तथा अनेक नए खिलाड़ी उभर कर आए हैं जिनकी वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रमुख घटकों में विशाखीकृत उपस्थिति है। वित्तीय क्षेत्र में कुछ गैर बैंकिंग संस्थाएं इतने बड़े अंशों को प्राप्त कर सकती हैं जिनका सर्वांगी प्रभाव पड़ेगा। अतः न केवल पर्यवेक्षक के लिए, बल्कि स्वयं बैंकों के लिए भी यह जरूरी हो गया है कि विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक 'समूहन' का दृष्टिकोण अपनाएं और बैंक अपने लिए वैश्विक स्तरों पर अर्थात् संपूर्ण संगठन के लिए, न कि केवल बैंक स्तर पर, जोखिम प्रबंध प्रणाली की स्थापना करें। समूहन से जुड़े जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :

1. अनेक वित्तीय समूहन की स्थिति "इतनी बड़ी कि असफल होना निश्चित" से जुड़ा नैतिक संकट;

2. 'होल्टिंग आउट' किसी भी तरह बने रहने की विशेषता के कारण संक्रामक या प्रतिष्ठागत प्रभाव;
3. वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार के अंतर्समूह लेनदेन और एक्सपोजर से उभरने वाले विनियामक अंतरण (अधिनिर्णय); कुछ दूरी बनाए रखे बगैर किए गए लेनदेन आदि के बारे में चिंताएं।

इसी संदर्भ में पूरे उद्यम के स्तर पर तथा समूहवार स्तर पर, समन्वित जोखिम प्रबंधन को महत्व प्राप्त होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेबी और इर्डा के साथ-साथ वित्तीय समूहों की निगरानी करने के लिए ढांचा स्थापित किया है। समूहों के पदनामित संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बकाया मुद्दों /पर्यवेक्षी मुद्दों से निपटने के लिए छमाही चर्चाएं करना भी शुरू किया गया है।

#### IV. निष्कर्ष

सर्वांगी स्तर पर विनियमन, बुनियादी संरचना और दस्तावेजों / लिखतों की दृष्टि से सभी बाजार सहभागियों के लिए एक समर्थनकारी/सहायक परिवेश बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। इस संदर्भ में, मैं हाल ही में हुई वैधानिक गतिविधियों की चर्चा करना चाहूंगी जिनका भारत के वित्तीय बाजारों पर दूरगामी प्रभाव होंगे। एक है भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 का लागू करना, भारत में ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव मार्केट की वैधता का मुद्दा एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ था। यद्यपि प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 ने एक्सचेंजों में हुए डेरिवेटिव लिखतों के लेनदेन को विशेष कानूनी मान्यता दे दी थी, परंतु भारत में

ओवर दि काउंटर एक्सचेंज डेरिवेटिवों को कोई स्पष्ट कानूनी मान्यता नहीं थी। चूंकि किसी बाजार के स्वस्थ विकास के लिए कानूनी स्पष्टता एक बुनियादी आवश्यकता है अतः भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में एक उपयुक्त संशोधन करके ओटीसी डेरिवेटिवों को पूर्वगामी प्रभाव से वैधता प्रदान की गई। अब भारतीय रिज़र्व बैंक को ब्याज दर तथा फोरेक्स ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट को विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। दूसरी वैधानिक गतिविधि सरकारी प्रतिभूति विधेयक के अधिनियम बन जाने के बारे में है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम में बाद में लाए गए परिवर्तन में सरकारी प्रतिभूतियों दृष्टिबंधक, गिरवी, तथा धारणाधिकार रखने, इलैक्ट्रॉनिक रूप में इनका रिकार्ड रखने का प्रावधान है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह सरकारी प्रतिभूतियों को स्ट्रिपिंग (अलग करने) में समर्थ बनाता है।

इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में, कुछ उदारीकरण उपाय प्रतिभूति बाजार में लागू किए गए हैं जो निश्चित ही बाजार में जोखिम प्रबंध परंपराओं को प्रभावित करेंगे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है - सरकारी प्रतिभूति बाजार में सीमित रूप में 'हैन इश्यूड' का लेनदेन और शॉर्ट सेलिंग। वर्तमान में 'हैन इश्यूड' का लेनदेन केवल पुननिर्गमों तक ही सीमित है। हम इसे जैसा कि बाजार सहभागियों ने अनुरोध किया है, नए निर्गमों पर भी लागू करने के बारे में जांच कर रहे हैं।

वर्षों से उत्तरोत्तर रूप में जो कुछ विकसित हुआ है अब उसे समेकित किया जा रहा है, और एक बार विनियमन बुनियादी संरचना और उपयुक्त लेखांकन मानदंड स्थिर हो जाएं, तो अन्य कई पहलें जैसे कि 'क्रेडिट डेरिवेटिव्स' शुरू किए जा सकते हैं।